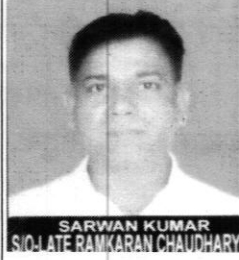


कार्यालय, मुख्य अभियंता,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण,
जल संसाधन विभाग, वीरपुर।

का0आ0सं0:-1 स्था0-70-7-01/2025-...../वीरपुर, दिनांक/2025।

कार्यालय आदेश।

जिलाधिकारी-सह अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, सुपौल की बैठक कार्यवाही ज्ञापांक 901-2 स्था0, दिनांक 16.10.2024 के कार्यवाही संख्या-01 के सूची क्रमांक 03 पर की गई अनुशंसा एवं विभागीय पत्र सं0 :-3/स्था0-15 (अनुकंपा)-01/2024- 2001 दिनांक 18.10.2024 द्वारा प्रदत्त अनुमति के आलोक में मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, वीरपुर के कार्यालय आदेश सह ज्ञापांक 2934 दिनांक 22.10.2024 द्वारा अनुकम्पा के आधार पर बिहार कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) नियमावली, 2023 के अंतर्गत पूर्णतः औपबंधिक रूप से परीक्ष्यमान रूप में नियुक्त निम्नलिखित कार्यालय परिचारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 06 में अंकित कार्यालय में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है-

क्र0	नाम/स्थायी पता	कोटि	जन्म तिथि	कर्मि का फोटो	पदस्थापित कार्यालय का नाम
01	02	03	04	05	06
01.	श्री सरबन कुमार, पिता- स्व0 रामकरण चौधरी, ग्राम + पोस्ट + थाना- वीरपुर, वार्ड संख्या-12, पिनकोड-854340, प्रखंड-बसंतपुर, अनुमंडल-वीरपुर, जिला-सुपौल	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	03.01.1985	 SARWAN KUMAR S/O-LATE RAMKARAN CHAUDHARY	पूर्वी तटबंध प्रमंडल, वीरपुर

02. यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।

03. योगदान करने हेतु पदस्थापित स्थान पर आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

ह0/-

(वरुण कुमार)
मुख्य अभियंता,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण,
जल संसाधन विभाग, वीरपुर

ज्ञापांक:-1 स्था0-70-7-01/2025-...../वीरपुर, दिनांक/2025।

प्रतिलिपि :- संबंधित कार्यालय परिचारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि वे पदस्थापन आदेश निर्गत होने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर नियुक्ति पत्र में वर्णित सभी अभिलेखों/प्रमाण पत्रों/शपथ पत्र आदि के साथ निश्चित रूप से अपना योगदान पदस्थापित कार्यालय में

समर्पित करें, अन्यथा निर्धारित अवधि के पश्चात योगदान स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।

ह0/-

(वरुण कुमार)
मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:-1 स्था0-70-7-01/2025-...../वीरपुर, दिनांक/2025।

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(वरुण कुमार)
मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:-1 स्था0-70-7-01/2025-...../वीरपुर, दिनांक/2025।

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, पूर्वी तटबंध प्रमंडल, वीरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कार्यपालक अभियंता नवनियुक्त कार्यालय परिचारी के वांछित सभी अभिलेखों/प्रमाण पत्रों/शपथ पत्र आदि की जाँच कर स्वयं संतुष्ट होने के उपरांत ही उनका योगदान औपबंधिक रूप से तीन माह के लिए स्वीकृत करेंगे एवं नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि करा लेंगे। यदि तीन माहों के अंदर यह सम्पुष्टि पूर्ण नहीं होती है तो संबंधित नव नियुक्त कर्मचारी के वेतन की निकासी तब तक नहीं की जाएगी जब तक नियुक्ति की सम्पुष्टि नहीं हो जाती।

01. नियंत्री पदाधिकारी संबंधित संस्थान/कार्यालय से प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराकर इसकी शुद्धता से भी संतुष्ट हो लेंगे।

ह0/-

(वरुण कुमार)
मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:-1 स्था0-70-7-01/2025-...../वीरपुर, दिनांक/2025।

प्रतिलिपि :- श्री नीरज धर, सरकार के अवर सचिव, प्रशाखा-05, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(वरुण कुमार)
मुख्य अभियंता

ज्ञापांक:-1 स्था0-70-7-01/2025-.....362...../वीरपुर, दिनांक28.01...../2025।

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(वरुण कुमार)
मुख्य अभियंता